न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

55

पुनर्विलोकन प्रकरण क्रमांक /2013 जिला–छतरपुर

राजेश कुमार पुत्र श्री रामनाथ साहू निवासी–ग्राम बमीठा तहसील राजनगर, जिला–छतरपुर (म.प्र.)

.....आवेदक

विरूद्ध

1– प्रजेश कुमार पुत्र श्री रामनाथ साहू निवासी–ग्राम बमीठा तहसील राजनगर, जिला–छतरपुर (म.प्र.)

2– मध्यप्रदेश शासन

..... अनावेदकगण

माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 1650-I/2007 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 22.06.2012 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 51 के अधीन पुनर्विलोकन।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निम्नांकित निवेदन है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1– यहकि, अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा ग्राम पीरा में स्थित भूमि खसरा नं. 1524 का रकवा 0.023 हेक्टेयर का नामान्तरण हेतु आवेदन–पत्र फर्जी अपंजीकृत इकरारनामा दिनांक 03.05.1991 के आधार पर तहसीलदार तहसील राजनगर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जो तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 29/अ–6/03–04 पर पंजीबद्ध कर आवेदक को सूचना, सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना ही पारित आदेश दिनांक 16.01.2004 से अनावेदक क्रमांक 1 का नामान्तरण आवेदन स्वीकार कर नामान्तरण के आदेश दिये गये।

2– यहकि, तहसीलदार राजनगर के आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजनगर के समक्ष अपील प्रकरण क्रमांक 65/03–04 प्रस्तुत की गई थी, जो आदेश दिनांक 05.11.2004 से निरस्त की गई।

3– यहकि, अनुविभागीय अधिकारी राजनगर के आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अतिरिक्त कमिश्नर सागर संभाग सागर के समक्ष अपील प्रकरण क्रमांक 250/अ–6/04–05 प्रस्तुत की गई थी, जो आदेश दिनांक 29.07.2006 से निरस्त कर दी गई।

4– यहकि, अतिरिक्त कमिश्नर सागर संभाग सागर के आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 1650–एक/2007

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु 3680–दो/2013 जिला –छतरपुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेष	पक्षकारों एवं अभि. एवं आवेदक के हस्ताक्षर
30-04-16	आवेदक की ओर से श्री के0 के0 द्विवेदी उपस्थित। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में तर्क प्रस्तुत किये । आवेदक के अधिवक्ता द्वारा रिव्यु प्रकरण के प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । यह रिव्यु आवेदन पत्र इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 1650–एक/2007 आदेश दिनांक 22.6.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत पुनर्विलोकन प्रकरण कमांक 3680–दो/2013 के तथ्यों पर आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने गये। आवेदक की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन में उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जो प्रकरण कमांक निगरानी 1650–एक/2007 में वर्णित हैं। जिनका निराकरण आदेश दिनांक 22.6.2012 से किया जा चुका है। रिव्यु प्र0क0 3680–दो/2013 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में पुनर्विलोकन में जो आधार बताये गये हैं उनके विद्यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जा सकता है:–	

Rg. 3680 [illegible]/13

1— नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक तत्परता के पश्चात भी नहीं मिल पाई थी।

2— अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती।

3— कोई अन्य प्र्याप्त कारण।

आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है। उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है । उभय पक्ष सूचित हों।

सदस्य